



क्रमांक / राजस्व / 12 / 3(3) 2019 / 60

दिनांकः 14/12/2000

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमती भूदेश पत्नी श्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम टांडा तहसील व जिला भरतपुर एवं श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू—राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 एवं संशोधित नोटिफिकेशन एफ.6(26)/रेव—6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:—

2	पिता / पित का नाम सहित तथा पूरा पता	श्रीमती भूदेश पत्नी श्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम टांडा तहसील व जिला भरतपुर एवं श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना नहीं
	अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	
3	मारास्त हुन का ज्यारा	
	(क) ग्राम, ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सेवला ग्राम पंचायत करही तहसील नदबई जिला भरतपुर
	(ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक	ग्राम सेवला ग्राम पंचायत करही तहसील नदबई जिला
	खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेo में)	भरतपुर का आराजी खसरा नम्बर 554/476 रकबा
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल	0.2316 हैक्टे (मूल आ0 ख0 नम्बर 476 / 0.28) ग्राम सेवला ग्राम पंचायत करही तहसील नदबई जिला
	को उपदर्शित करते हुये	भरतपुर का आराजी खसरा नम्बर 554/476 (मूल आ०)
1	संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टे0 या	ख0 नम्बर 476/0.28) रकबा 0.2316 हैक्टे में से
	वर्गमीटर में)	1883.69 वर्गमीटर का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल
_		पम्प) भूमि रूपान्तरण।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प) भूमि रूपान्तरण
5	संदेय प्रीमियम की दर	डी.एल.सी. की 10 प्रतिशत राशि की दर से।
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित	चालान संख्या 35400152 दिनांक 25.11.2019 से राशि
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	25000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान
6	그림	25000/— (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान संख्या 44597038 दिनांक 19.11.2020 से राशि
6	그림	25000/— (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान संख्या 44597038 दिनांक 19.11.2020 से राशि 70730/— (सत्तर हजार सात सौ तीस रूपये मात्र)
6	जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	25000/— (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान संख्या 44597038 दिनांक 19.11.2020 से राशि 70730/— (सत्तर हजार सात सौ तीस रूपये मात्र) कुल राशि 95730/— (पिचानवें हजार सात सौ तीस रूपये मात्र)
7	जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित	25000/— (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान संख्या 44597038 दिनांक 19.11.2020 से राशि 70730/— (सत्तर हजार सात सौ तीस रूपये मात्र) कुल राशि 95730/— (पिचानवें हजार सात सौ तीस
	जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	25000/— (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान संख्या 44597038 दिनांक 19.11.2020 से राशि 70730/— (सत्तर हजार सात सौ तीस रूपये मात्र) कुल राशि 95730/— (पिचानवें हजार सात सौ तीस रूपये मात्र)
	जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित	25000/— (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान संख्या 44597038 दिनांक 19.11.2020 से राशि 70730/— (सत्तर हजार सात सौ तीस रूपये मात्र) कुल राशि 95730/— (पिचानवें हजार सात सौ तीस रूपये मात्र)
7	जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई	25000 /— (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान संख्या 44597038 दिनांक 19.11.2020 से राशि 70730 /— (सत्तर हजार सात सौ तीस रूपये मात्र) कुल राशि 95730 /— (पिचानवें हजार सात सौ तीस रूपये मात्र) नहीं
7	जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित	25000 /— (पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं चालान संख्या 44597038 दिनांक 19.11.2020 से राशि 70730 /— (सत्तर हजार सात सौ तीस रूपये मात्र) कुल राशि 95730 /— (पिचानवें हजार सात सौ तीस रूपये मात्र) नहीं

F. Pevenue Conversion CONEVERSION LETTER 1.doc

Fax: (05644) 223355 Phone: 223086(O), 223316(R) Email: rajbha@nic.in

जिला क

12

-

2457





9	क्या आदेश नियमितींकरण के नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10	अन्य विशिष्टि यदि कोई हो।	नहीं

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा:--

- 1. अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समप्रहृत हो जायेगा।
- उक्त प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 4. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांकः एसई(एनएच)पीए/05/डी-1603 दिनांक 24.2.2005 की पालना में आई.आर.सी. के मापदण्ड अनुसार सड़क मध्य से दूरी छोड़कर निर्माण करायेगा।
- 5. निर्माण से पूर्व प्रयोजनार्थ भूमि हेतु जो सम्पर्क मार्ग बनायेंगे, उस पर सड़क सीमा में पाईप डालकर पुलिया का निर्माण करना होगा।
- 6. राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.6(26) / रेव–6 / 2014 / 33 दिनांक 06. 10.2016 के फॉर्म जी नियम 19 बी में वर्णित प्रावधानों के तहत ले आउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान नियमानुसार अनुमोदित कराना होगा।
- 7. राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों, उप नियमों तथा वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति करनी होगी। किसी विधिक प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में यह भूमि रूपान्तरण निरस्त योग्य होगा।
- 8. उप नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर द्वारा जारी अनापित क्रमांक बीटीआर/एनसीआर/ग्रामीण/एफ. 246/562 दिनांक 10.09.2020 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी। किसी विधिक प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में यह भूमि रूपान्तरण निरस्त योग्य होगा। उप नगर नियोजक भरतपुर द्वारा जारी तकनीकी राय संपरिवर्तन आदेश का भाग होगी।
- प्रार्थी द्वारा अग्नि शमन व प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास के उचित प्रावधान किये जावेंगे, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा। व इसके लिये निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- 10. पेट्रोल पम्प का निर्माण भारतीय तेल निगम से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार एवं भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा पेट्रोल पम्प हेत् निर्धारित दिशा निर्देशों /मापदण्डों के अनुसार किया जाना होगा।
- 11. पेट्रोल पम्प में प्रवेश करने वाले एवं पेट्रोल पम्प से निकलने वाले वाहनों का मुख्य सडक मार्ग पर गुजरने वाले वाहनों के लिये उचित विजन(Vision) सम्बंधी समुचित व्यवस्था रखने का दायित्व भारतीय तेल निगम एवं स्वयं प्रार्थी का होगा।
- 12. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा द्वारा जारी अनापित क्रमांक 23011/20/पकाई/एनओसी/भू रूपान्तरण/3066 दिनांक 01.01.2020 के अनुसार सडक मध्य बिन्दु से एक तरफ 40 मीटर दूरी छोडकर भूमि रूपान्तरण किया गया है। उक्त एन.ओ.सी. में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
- 13. प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.28 हैक्टे में से संलग्न मानचित्र अनुसार 483.14 वर्गमीटर भूमि का राज्य पक्ष में रास्ते हेतु समर्पण किया गया है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में एयर के पूर्णांक में दर्ज

F:\Revenue\Conversion\CONEVERSION LETTER1.doc

2458

Fax: (05644) 223355 Phone: 223086(O), 223316(R) Email: rajbha@nic.in

भरतपुर





होने के कारण 0.0484 हैक्टे भूमि मूल रकबे में से कम करते हुये नया नम्बर 554/476 रकबा

- 14. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग पेट्रोल पम्प के अतिरिक्त अन्य उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
- 15. समय—समय पर आवश्यक अनापिता सम्बंधित विभागों से नियमानुसार प्राप्त किया जाना आवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 16. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छुपाये जाते हैं अथवा कोई विधिक / वाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो कार्यालय द्वारा प्रदत्त संपरिवर्तन / नियमन आदेश को निरस्त समझा जावेगा। संलग्न :— उपरोक्तानसार।

(नथमल डिडेल) जिला कलक्टर भरतपुर

दिनांकः 14/12/2020

मांकः राजस्व/12/3(3)2019/1/357 — 1/36/ प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1. श्रीमान संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
- 2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा कलै० भरतपुर।
- 3. उपखण्डाधिकारी, नदबई।

4. तहसीलदार, नदबई को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में तरमीम करावें।

5 श्रीमती भूदेश पत्नी श्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम टांडा तहसील व जिला भरतपुर एवं श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना।

6. आदेश पत्रावली।

(बीना महावर) अति0जिला कलक्टर भरतपुर





क्रमांकः राजस्व / 12 / 3()2019 / 105 9c - 105 91

दिनांक ।। 2010

- श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री दीवानिसंह जाति जाट निवासी ग्राम खेडली गडािसया तहसील बयाना।
- श्रीमती भूदेश पत्नी श्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम टांडा तहसील व जिला भरतपुर बाबत्

विषय:— ग्राम सेवला तहसील नदबई स्थित आराजी खसरा ख0न0 476 रकबा 0.28 हैक्टे0 में से 1883.69 वर्गमीटर का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सेवलां तहसील नदबई स्थित आराजी खसरा ख0न0 476 रकबा 0.28 हैक्टे0 में से 1883.69 वर्गमीटर का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प हेतु) भूमि रूपान्तरण चाहा गया है। उक्त संपरिवर्तन प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:—

- 1. उप नगर नियोजक भरतपुर द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार मार्गाधिकार हेतु 483.14 वर्गमीटर भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कराया जाना तथा उसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जाकर नवीन जमाबन्दी एवं राजस्व मानचित्र प्रस्तुत करें।
- 2. प्रीमियम राशि 70730 / रूपये जमा कराया जाकर मूल चालान की प्रति प्रस्तुत करें।

अति०जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट, भरतपुर

मरतपुर

दिनांकः 9111/2020

क्रमांकः राजस्व / 12 / 3()2019 / 105 🕱 📜 प्रतिलिपिः

तहसीलदार नदबुई की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अति0जिंला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट, भरतपुर

E-CHALLAN (Manual Payment) Government Of Rajasthan Revenue Board Remitter's Copy for Dept 31/03/2020 Valid Upto:-Date:- 25/11/2019 12:51:00 PM GRN:- 35400152 BarCode:-Bharatpur Tehsildar, Nadbai Office Name:-NADBAI Location:-25/11/2010 To 30/11/2019 Year. Amount Head(0029) 25,000.00 0029-00-800-07-02-ग्रामीण भमि रूपांतरण शल्क (0.00 Discount :-25,000.00 Total/Net Amount:-Twenty Five Thousand Ropes and Zero Paise Only TIN/Actt no Vehicle No Taxid/Lease No:-मदव PANABL Remitter Name:-REKHA KUMARAWA DEEWAN SINGH VPO NAHAR SINGH VPO TANDA BHARATPUR KHASRA NO 476 RAKVA 1883.69 VARG MEETAR VILLAGE SEWLA NADBAI FOR USE IN RECEIVING BANK Cheque-DD-No.: Bank CIN No:-SBI AnyWhere Bank



his challan in government account on T+1 basis

* Branch is taking responsibility to deposit amount of

2(91 75) 2

E-CHALLAN (Manual Payment) Government Of Rajasthan Revenue Board Valid Upto:-31/03/2021 Remitter's Copy for Dept GRN:-44597038 Date:- 11/11/2020 1:15:00 PM BarCode:-Office Name:-Bharatpur Tehsildar, Nadbai Location:-**NADBAI** Year: 11/11/2020 To 30/11/2020 Head(0029) Amou: 0029-00-800-07-02-ग्रामीण भिनि रूपांतरण शल्क (70 730.00 Discount :-0.00 Total/Net Amount:-70,730.00 Seventy Thousand Seven Hundred Thirty Rupees and Zero Paise Only Payee Detail TIN/Actt. no./VehicleNo/Tax dt. ease No:-PAN No .:-Remitter Name:- TEHSIL DAR NADBAI Addresse Q NOV REKHA KUMARI WO DEEWAN SINGH VPO KHEDLI GADASIYA BHARA, BHUDESH W/O NAHAR SINGH VPO TANDA BHARATPUR KHARRANO 476 RAKVA 1883.69 VARG MEETAR Remarks: FOR USE IN RECEIVING BANK Cheque-DD-No.: Bank CIN No:-SBI AnyWhere Bank

E-CHALLAN (Manual Payment) Government Of Rajasthan Revenue Board Valid Upto:-31/03/2021 Remitter's Copy GRN:-44597038 Date:- 11/11/2020 1:15:00 PM BarCode:-Office Name:-Bharatpur Tehsildar, Nadbai Location:-**NADBAI** Year: 11/11/2020 To 30/11/2020 Head(0029) Amount 70,730.00 0029-00-800-07-02-ग्रामीण भूमि रूपांतरण शल्क (Discount :-0.00 Total/Net Amount:-70,730.00 Seventy Thousand Seven Hundred Thirty Rupees and Zero Paise Only Payee Detail TIN/Actt. no.//ehicleNo/TaxId/Lease No:-PAN No .:-Remitter Name:-**TEHSIL DAR NADBAI** REKHA KUMARI W/O DEEWAN SINGH VPO 3 NO KHEDLI GADASIYA BHARA, BHUDESH W/O NAHAR SINGH VPO TANDA BHARATPUR KHASPA NO 476 RAKVA 1883.69 VARG MEETAR FOR USE IN RECEIVING BANK Cheque-DD-No.: Bank CIN No:-Bank SBI AnyWhere

nis challan in government account on T+1 basis